संसाधन पुस्तिका

आदि द्वारा विकसित

सौजन्य से

प्रस्तावना

इस संसाधन पुस्तिका के माध्यम से बल्लभगढ़ ब्लॉक के ग्रामीण वासियों , विकलांग व्यक्तियों व उनके परिवारों को सरकार द्वारा दी गई सुविधाओं के बारे में तथा उनको प्राप्त करने की प्रक्रिया के बारे में जानकारी देने का प्रयास किया गया है। पुस्तिका में कुछ ही मुख्य क्षेत्रों व विभागों से सम्बन्धित जानकारी एकत्रित की गई है तथा यह अगस्त व सितम्बर माह 2016 में एकत्रित जानकारियों के आधार पर बनी है । अतः समय के साथ कुछ जानकारी आगे परिवर्तित होगी तथा कुछ नई जानकारी व विभाग इस पुस्तिका में जुड़ते चले जायेंगे ।

आशा है इस पुस्तिका के अन्दर एकत्रित की हुई जानकारी से समुदाय के लोगों को लाभ पहॅंचेगा ।

खाद्य एवं पोषण

1.खाद्य अपूर्ति एवं पोषण

सरकार ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून 2013 में लागू किया था जिसका उद्देश्य एक गरिमामय जीवन जीने के लिये लोगों को सस्ते दामों पर खाद्य सामग्री प्रदान करना है । सरकार के द्वारा बच्चों व महिलाओं में कुपोषण और खून की कमी, गर्भवती महिला व दूध पिलाने वाली माता में कुपोषण व खून की कमी को रोकने तथा गरीबों को सस्ती दरों पर भोजन सामग्री उपलब्ध करवाने के लिए योजनाएँ चलाई गई हैं जो इस प्रकार हैं :

1.1 **lesfdr** बाल विकास योजना

यह योजना क्या है?

0–6 वर्ष आयु वर्ग के सभी बच्चों के समेकित विकास, पोषण व महिलाओं के स्वास्थ्य व पोषण के लिए प्रत्येक गॉव में ऑगनवाडी केन्द्र चल रहे हैं, जिसमें गर्भवती महिलाओं, दूध पिलाने वाली माताओं व 0–6 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों के लिए पौष्टिक भोजन उपलब्ध करवाने की प्रतिदिन व्यवस्था की गई है, जहॉ 165 ग्राम प्रतिदिन भोजन सामग्री 6 माह से 6 वर्ष तक के बच्चे के लिए तथा इस मात्रा का दोगुना कुपोषित बच्चे को दी जाती है। गर्भवती महिला को 175 ग्राम भोजन सामग्री प्रतिदिन दी जाती है ।

प्राप्त करने की प्रकिया

सर्वप्रथम गर्भवती महिला व 0–6 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों का ऑगनवाडी कायकर्त्ता के द्वारा पंजीकरण किया जाता है, उसके बाद उन्हें केन्द्र पर बुलाकर उनका माप–भार व अन्य जॉच स्वास्थ्य रजिस्टर में दर्ज की जाती है। 0–6 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों को केन्द्र पर बुलाकर पोषण के लिए खाद्य पदार्थ दिये जाते हैं व पूर्व शिक्षा तथा खेल कराये जाते हैं। गर्भवती महिला व प्रसव के बाद जच्चा–बच्चा के घर का विजिट भी, स्वास्थ्य व पोषण सम्बन्धी जानकारी देने –लेने के लिए किया जाता है । इन सब का टीकाकरण भी सुनिश्चित दिनों में होता रहता है ।

यह योजना सभी बच्चों के लिये है, जिसमें विकलांग बच्चे भी सम्मिलित हैं। गर्भवती विकलांग महिला को भी 175 ग्राम भोजन सामग्री प्रतिदिन दी जाती है ।

इस सम्बन्ध में अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए ब्लॉक स्तर पर बात करनी होगी जिसका पता है :

श्रीमती शकुन्तला,
बाल विकास कार्यक्रम अधिकारी,
समेकित बाल विकास कार्यालय,
प्रथम तल, कमरा न. 33 पंचायत भवन, बल्लभगढ़,
फरीदाबाद फोन नम्बर– 9310063936

यदि ब्लॉक स्तर पर भी जानकारी न मिले या समस्या का समाधान न हो तो जिला स्तर पर जानकारी ले सकते हैं, जिसका पता है :

श्रीमती कमलेश भाटिया,
जिला कार्यक्रम अधिकारी,

सैक्टर 15 ए , पुराने अतिरिक्त उपायुक्त कार्यालय के पास,

फरीदाबाद , फोन नम्बर– 0129–2222138, 9999367552

जन सूचना अधिकार कानून 2005 के तहत् भी उपरोक्त कार्यालय से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं जिसमें जन सूचना अधिकारी, जिला विकास कार्यक्रम अधिकारी को 10/– के पोस्टल ऑर्डर के साथ पत्र भेजना होता है ।

यदि जिला स्तर के द्वारा भी पूरी जानकारी प्राप्त नहीं होती है, तो राज्य स्तर के कार्यालय से सम्पर्क करना होगा और अपनी समस्या या सुझाव बताने होंगे, यदि जिला स्तर कार्यालय से मिली जानकारी से संतुष्टि नही होती है, तो जन सूचना अधिकार 2005 के तहत् भी राज्य स्तर के कार्यालय से जानकारी प्राप्त की जा सकती है । राज्य स्तर के कार्यालय का पता है :

निदेशक,
महिला एवं बाल विकास विभाग, हरियाणा
बेज 15–20, सैक्टर–4, पंचकूला,
हरियाणा ।
फोन नम्बर–0172–2560349
Email: **wcd@hry.nic.in**

नोट– जो भी प़त्र/जन सूचना अधिकार के तहत् लिख रहे हैं, तो उसकी छाया प्रति अपने पास रख लें व जो भी कागज साक्ष्य के तौर पर लगा रहे हैं उनकी भी छाया प्रति ही भेजें, वास्तविक अपने पास रखें तथा पहले पत्र की छाया प्रति अवश्य लगायें। यदि सीधे अधिकारी के कार्यालय में जमा करवा रहे हैं तो उसकी प्राप्ति रसीद अवश्य लें।

1.2 मिड डे मील

यह योजना क्या है ?

शिक्षा विभाग के द्वारा पहली कक्षा से आठवीं कक्षा तक सरकारी व़िद्यालय में पढ़ने वाले बच्चों को विद्यालय से ही भोजन मिलता है, जिसमें बच्चों में कुपोषण को रोकने के लिए यह व्यवस्था की गयी है ,जिसको मिड डे मील कहते हैं, जिसके अन्तर्गत~~ 3.34 रूपए प्रति बच्चा प्रतिदिन प्राथमिक तथा 5 रूपए प्रति बच्चा प्रतिदिन अपर प्राथमिक में भोजन के लिए खर्चा किया जाता है।

प्रक्रिया

इस योजना के तहत् सरकारी विद्यालयों में पहली कक्षा से आठवीं कक्षा तक प<+ने वाले सभी बच्चों को भोजन अवकाश के समय भोजन मिलता है। खाना खाने के बर्तन भी विद्यालय में ही उपलब्ध होते हैं ।

यह योजना विद्यालय में प<+ने वाले सभी विकलांग बच्चों के लिए भी है।

इस सम्बन्ध में शिक्षा विभाग से जानकारी प्राप्त की जा सकती है, इसके लिए ब्लॉक स्तर पर ब्लॉक एलीमेन्टरी एजुकेशन अधिकारी (बी.ई.ई.ओ.) से मिलें, जिनका नाम व पता है :

श्रीमति अनिता शर्मा , (बी.ई.ई.ओ)

शिक्षा विभाग कार्यालय, सैक्टर –7, फरीदाबाद
फोन नम्बर– 9810383271 , 0129– 2288386
या
श्रीमति अलका, **(**एस.एस.ए**)**
शिक्षा विभाग कार्यालय, सैक्टर –7,
फरीदाबाद , फोन नम्बर– 8010747909

जन सूचना अधिकार कानून 2005 के तहत् भी उपरोक्त कार्यालय से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं जिसमें जन सूचना अधिकारी, शिक्षा विभाग को 10/– के पोस्टल ऑर्डर के साथ पत्र भेजना है।

यदि अधिक जानकारी प्राप्त करनी हैं या ब्लॉक स्तर पर समस्या का समाधान नहीं होता है, तो इसके बाद जिला स्तर पर जिला शिक्षा अधिकारी से मिले (डी.ई.ई.ओ.) जिनका नाम व पता है :

श्रीमती सतेन्द्र कौर (डी.ई.ई.ओ.),
फोन नम्बर– 9711185639 ,0129 –2221971
अथवा
श्री मनोज कौशिक (डिप्टी डी.ई. ई. ओ),
शिक्षा विभाग कार्यालय,
सैक्टर –16, फरीदाबाद

मिलने का दिन मंगलवार समय प्रातः 10 से 1 बजे तक है।

जन सूचना अधिकार कानून 2005 के तहत् भी उपरोक्त कार्यालय से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं जिसमे जन सूचना अधिकारी, शिक्षा विभाग को 10/– के पोस्टल ऑर्डर के साथ पत्र भेजना है ।

यदि जिला स्तर के द्वारा भी पूरी जानकारी प्राप्त नहीं होती है, तो राज्य स्तर के शिक्षा विभाग कार्यालय से सम्पर्क करना होगा और अपनी समस्या या सुझाव बतानें होंगे, जिला स्तर कार्यालय से मिली जानकारी से यदि संतुष्टि नही होती है तो जन सूचना अधिकार 2005 के तहत् भी राज्य स्तर के कार्यालय से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, जिसमें जन सूचना अधिकारी, शिक्षा विभाग को 10/– के पोस्टल ऑर्डर के साथ पत्र भेजना है। राज्य स्तर के कार्यालय का पता है :

विद्यालयी शिक्षा निदेशालय,
प्लाट नम्बर 1/बी, शिक्षा सदन, प्रथम तल,
सैक्टर–5, पंचकूला ,हरियाणा ।
फोन नम्बर– 0129–2560269,2560453
Email : eduprimaryhry@gmail.com or
edusecondaryhry@gmail.com

नोट : जो भी पत्र/जन सूचना अधिकार के तहत् लिख रहे हैं, तो उसकी छाया प्रति अपने पास रख लें व जो भी कागज साक्ष्य के तौर पर लगा रहे हैं उनकी भी छाया प्रति ही भेजें, वास्तविक अपने पास रखें तथा पहले पत्र की छाया प्रति अवश्य लगायें। यदि सीधे अधिकारी के कार्यालय में जमा करवा रहे हैं तो उसकी प्राप्ति रसीद अवश्य लें।

1.3 सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत् अन्तोदय अन्न योजना

यह योजना क्या है ?

खाद्य एवम् आपूर्ति विभाग हरियाणा सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत् अन्तोदय अन्न योजना में गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले व्यक्ति/परिवार , जो बाजार दरों पर भोजन सामग्री खरीद कर खाने में सक्षम नही हैं, उनको सस्ती दरों पर भोजन साम्रगी उपलब्ध करवाता है, जिसमें 1–3 रूपये किलो की दर से 35 किलो प्रति परिवार प्रति माह ,गेहूँ , चावल तथा मोटे अनाज राशन की दुकान पर मिलते हैं। जिसके लिए राशन कार्ड आवश्यक है । गरीबी रेखा से नीचे रहने वालों को ही इस योजना में लाभ होता है लेकिन जो गरीबी रेखा पर हैं उन्हें 25 किलो गेहूं या चावल प्रति परिवार प्रति माह, 1–3 रूपये किलो की दर से ही मिलता है ।

प्राप्त करने की प्रकिया

व्यक्ति व परिवार को अपना राशन कार्ड, जो कि किसी भी योजना के तहत् बना हो, को लेकर खाद्य एवं अपूर्ति विभाग द्वारा नियुक्त राशन विक्रेता के पास जाना है तथा राशन की जो भी मात्रा विभााग के द्वारा निर्धारित है उसको प्राप्त करना है। विकलांग व्यक्ति, जो कि राशन कार्ड धारक हैं, को भी इसी प्रकार राशन मिलेगा ।

नया राशन कार्ड बनवाने के लिए जरूरी दस्तावेज निम्नलिखित हैं :

- परिवार की पासपोर्ट आकार की 4 फोटो
- पैन कार्ड
- आधार कार्ड
- एफीडेविड ¼शपथ पत्र½
- स्थायी पते का प्रमाण

मकान मालिक हैं तो प्रमाण

- मकान की Power of Attorney की छायाप्रति
- पंजीकरण पर्चा जब मकान खरीदा हो
- लैंडलाईन फोन बिल की छायाप्रति
- बिजली या पानी के बिल की छायाप्रति

अगर किरायेदार हैं तो

- मकान मालिक का सहमति प्रमाण
- किराए की रसीद
- स्टेट बैंक के खाते की कॉपी ,जिस पर वही पता हो जो फॉर्म में भरा है
- पुराना राशन कार्ड
- पहचान पत्र

- विद्यालय का प्रमाण पत्र
- अगर पुराना राशन कार्ड खो गया हो या चोरी हो गया हो तो उसकी पुलिस रिपोर्ट
- फॉर्म डी–1 भरना है

राशन कार्ड में बच्चे का नाम चढ़वाने के लिए बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र व फोटो चाहिए । ग्राम स्तर पर गॉव का राशन विक्रेता (डिपो होल्डर) बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र देखकर ,फोटो लगाकर ,नाम लिख देगा व मोहर लगा देगा । फॉर्म डी–1 भी यहीं से मिल सकता है। फॉर्म डी–1 भरकर, प्रमाण पत्रों की छाया प्रति लगानी होती है तथा खाद्य एवं आपूर्ति विभाग कार्यालय, कमरा न. 31 – 32, प्रथम तल पंचायत भवन , बल्लभगढ़ (फरीदाबाद) में जमा करना होता है।

इस योजना के अर्न्तगत् विकलांग व्यक्ति जो अपने घर के मुखिया हैं, वे भी अपना राशन कार्ड बनवा सकते हैं तथा योजना के हकदार हैं। घर के मुखिया के अलावा यदि विकलांग व्यक्ति या बच्चा परिवार में है तो उसका नाम राशन कार्ड में जुड़वाना आवश्यक है।

जो भी पत्र/जन सूचना अधिकार के तहत् लिख रहे हैं, तो उसकी छाया प्रति अपने पास रख लें व जो भी कागज साक्ष्य के तौर पर लगा रहे हैं, उनकी भी छाया प्रति ही भेजें, वास्तविक अपने पास रखें तथा पहले पत्र की छाया प्रति अवश्य लगायें। यदि सीधे अधिकारी के कार्यालय में जमा करवा रहे हैं तो उसकी प्राप्ति रसीद अवश्य लें।

अगर समस्या आए तो ब्लॉक स्तर पर खाद्य एवं आपूर्ति विभाग कार्यालय से सम्पर्क कर सकते हैं जिसका पता है :

श्री गिरीश मिश्रा,
खाद्य एवं आपूर्ति विभाग कार्यालय,
कमरा न. 31.– 32, प्रथम तल,
पंचायत भवन , बल्लभगढ़ (फरीदाबाद)
फोन नम्बर 9654406568

यदि ब्लॉक स्तर पर जानकारी नहीं प्राप्त होती है या समस्या का समाधान नहीं होता है या और अधिक जानकारी प्राप्त करनी है, तो खाद्य एवं आपूर्ति विभाग के जिला स्तर के कार्यालय से सम्पर्क करना होगा जिसका पता निम्नलिखित है :

खाद्य आपूर्ति विभाग ,
प्रथम तल ,रैडक्रॉस कार्यालय,
सैक्टर 12 , कोर्ट , फरीदाबाद ।
फोन. 0129 –2288245

जन सूचना अधिकार कानून 2005 के तहत् भी उपरोक्त कार्यालय से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, जिसमें जन सूचना अधिकारी, खाद्य पूर्ति विभाग कार्यालय को 10/– के पोस्टल ऑर्डर के साथ पत्र भेजना है।

यदि जिला स्तर के द्वारा भी पूरी जानकारी प्राप्त नहीं होती है तो राज्य स्तर के खाद्य पूर्ति विभाग कार्यालय से सम्पर्क करना होगा और अपनी समस्या या सुझाव बताने होंगे। जिला स्तर कार्यालय से मिली जानकारी से यदि आप संतुष्ट नही हैं तो जन सूचना अधिकार 2005 के तहत् भी राज्य स्तर के खाद्य एवं आपूर्ति विभाग कार्यालय से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं । जिसमें जन सूचना अधिकारी, शिक्षा विभाग को 10/– के पोस्टल ऑर्डर के साथ पत्र भेजना है ।

राज्य स्तर के कार्यालय का पता है :

खाद्य एवं आपूर्ति विभाग ,
30 बेज बिल्डिंग, सैक्टर–17,
चण्डीगढ़
फोन नम्बर–0172–2701191,2701162
Email :food@hry.in
या

श्री सम्पत सिंह – 9711662624 से सम्पर्क कर सकते हैं ।

नोट– जो भी पत्र/जन सूचना अधिकार के तहत् लिख रहे हैं, तो उसकी छाया प्रति अपने पास रख लें व जो भी कागज साक्ष्य के तौर पर लगा रहे हैं उनकी भी छाया प्रति ही भेजें, वास्तविक अपने पास रखें तथा पहले पत्र की छाया प्रति अवश्य लगायें। यदि सीधे अधिकारी के कार्यालय में जमा करवा रहे हैं तो उसकी प्राप्ति रसीद अवश्य लें।

1.4 इन्दिरा गॉधी मातृत्व सहयोग योजना

यह योजना क्या है ?

इस योजना के तहत् गरीब व आर्थिक तौर से कमजोर महिलाओं के स्वास्थ्य व पोषण तथा नवजात शिशु की देखभाल के लिए सरकार के द्वारा आर्थिक मदद दी जाती है। यह योजना हरियाणा में केवल एक जिले पंचकूला में चल रही है ।

विकलांग महिला भी इस योजना का लाभ ले सकती हैं।

संदर्भ सूची

खाद्य अपूर्ति एवं पोषण : खाद्य एवं आपूर्ति विभाग व समेकित बाल विकास कार्यक्रम पंचायत भवन, बल्लभगढ व सैक्टर–12 कार्यालय , शिक्षा विभाग के ब्लॉक व जिला स्तर के कार्यालय तथा वैब साइट www.haryanafood.gov.in ,www.wcdhry.gov.in, www.harprathmic.gov.in , www.faridabad.nic.in